राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) बाडमेर

क्रमांक 2020–21 / 1680 दिनांक 04.09.2020

श्रीमान थानाधिकारी,
पुलिस थाना सेडवा, जिला बाडमेर।

विषयः – मै0 मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेडवा के मालिक श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री आसुलाल जाति जैन निवासी सेडवा के विरूध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराने के सन्दर्भ में ।

प्रसंगः– श्रीमान उपनिदेशक कृषि (वि.) जि.प. बाडमेर के पत्र कमांक 2508–12 दिनांक 03.09.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है की श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मै0 मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेडवा द्वारा किसानों को विकय किये गये यूरिया खाद का सत्यापन करने के निर्देश जारी किये गये जिसकी पालना मे दिनांक 02.09.2020 एवं 03.09.2020 को सम्बधित तहसीलदार / पटवारी / कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा विकय किये गये यूरिया का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमे पाया गया की पोस (POS) मशीन द्वारा किसानों के नाम से जारी बिलों एवं किसानों द्वारा वास्तविक यूरिया खरीद मे भिन्नता है। (70 कृषको की भौतिक सत्यापन रिर्पोट सलंग्न है।)
भारत सरकार द्वारा यूरिया खाद का विकय पोस मशीन से किया जाना अनिवार्य किया गया है, भौतिक सत्यापन मे मै0 मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेडवा की पोस मशीन से जारी इनवॉयस मे विकय मात्रा अनुसार यूरिया खाद का विकय किसानों को नही किया जाना पाया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है की विकेता द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की गई है जो की उर्वरक नियत्रंण आदेश 1985 (fertilizer control order 1985) कि धारा 3,4,5,25 का उल्लघन है। कृषको के नाम झुठे बिल जारी किये हैं जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्सन 9 का उलंघन है, उर्वरक को भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी मे माना गया है ।
अतः आपसे निवेदन है की उर्वरक नियत्रंण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लघन करने पर मैसर्स मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेडवा के मालिक विकेता श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री आसुलाल जाति जैन निवारी सेडवा, तहसील चोहटन, जिला बाडमेर के विरूध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावे।

सलंग्न –

1 70 कृषकों का भौतिक सत्यापन
2 उर्वरक विकय का अनुज्ञापत्र
3 व्रिकेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रतिलिपि

(छुगसिंह) 04/09/2020
उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.)
कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) बाडमेर
मोबाईल न0 8003009094

मुहर

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): बाड़मेर P.S. (थाना): सेड़वा Year (वर्ष): 2020

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0135 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/09/2020 14:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	3
2	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): प्रहर Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/09/2020 Time (समय): 14:35 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/09/2020 14:35:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पश्चिम, 0.30 किमी Beat No. (बीट सं.) :
(b) Address(पता): SEDWA, SEDWA, 344704
(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

1. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

2. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) बाड़मेर
क्रमांक 2020-21/1680, दिनांक 04.09.2020
श्रीमान थानाधिकारी
पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर
विषय – मै. मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेड़वा के मालिक श्री सुरेश कुमार पुत्र आसुलाल जाति जैन निवासी सेड़वा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराने के सन्दर्भ में।
प्रसंग - श्रीमान उपनिदेशक कृषि (वि.) जि.प. बाड़मेर के पत्र क्रमांक 2508 – 12 दिनांक 03.09.2020 के क्रम में।

महोदय,
उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मै. मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेड़वा द्वारा किसानो को विक्रय किये गये युरिया खाद का सत्यापन करने के निर्देश जारी किये गये जिसकी पालना मे दिनांक 02.09.2020 एवं 03.09.2020 को सम्बन्धित तहसीलदार / पटवारी / कृषि विभाग के अधिकारियो द्वारा विक्रय किये गये युरिया का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमे पाया गया कि पोस (POS) मशीन द्वारा किसानो के नाम से जारी बिलो एवं किसानो द्वारा वास्तविक युरिया खरीद मे भिन्नता है। (74 कृषको की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सलग्न है।) भारत सरकार द्वारा युरिया खाद का विक्रय पोस मशीन से किया जाना अनिवार्य किया गया है, भौतिक सत्यापन मे मै. मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेड़वा की पोस मशीन से जारी इनवॉयस मे विक्रय मात्रा अनुसार युरिया खाद का विक्रय किसानो को नहीं किया जाना पाया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता द्वारा युरिया खाद की कालाबाजारी की गई है जो की उर्वरक नियत्रण आदेश 185 (fertilizer control order 1985) की धारा 3,4,5,25 का उल्लघन है। कृषको के नाम झुठे बिल जारी किये है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्सन 9 का उल्लघन है, उर्वरक को भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओ की श्रेणी मे माना गया है।
अतः आपसे निवेदन है कि उर्वरक नियत्रणं आदेश 1985 की विभिन्न धाराओ का उल्लघन करने पर मैसर्स मिनाक्षी खाद बीज भण्डार सेड़वा के मालिक विक्रेता श्री सुरेश कुमार पुत्र आसुलाल जाति जैन निवासी सेड़वा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावे।
सलग्न -
01. 74 कृषको की भौतिक सत्यापन
02. उर्वरक विक्रय का अनुज्ञापत्र
03. विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रतिलिपी, दिनांक 04.09.2020, सही छुगसिहं उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पोस) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) बाड़मेर, मौबाईल नम्बर 8003009094
दिनांक 10.09.2020 वक्त 02.35 पीएम पुलिस थाना सेड़वा
इस समय यह टाईपशुदा रिपोर्ट मय दस्तावेज प्रार्थी श्री छुगसिहं पुत्र कुशलसिहं जाति राजपुत उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी सांकड़ा पुलिस थाना सांकड़ा जिला जैसलमेर हाल निरीक्षक उर्वरक एवं कृषि अधिकारी (पो.स) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कलेक्ट्रेट परिसर बाड़मेर ने उपस्थित थाना होकर पेश किये जो मजमुन पुनः पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही होना मान अपने हस्ताक्षर किये। सही छुगसिहं
कार्यवाही पुलिस
मजमून रिपोर्ट व तकरीरन दरियाफ्त, पेशसुदा दस्तावेजो से मामला जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का घटित होना पाया जाने से इस सम्बन्ध मे उपरोक्त धारा मे प्रकरण पजीबद्ध कर तफ्तीश जाब्ता शुरू की गई। FIR की प्रतिया नियमानुसार जारी कर एक प्रति FIR मुस्तगीस को निःशुल्क दी जावेगी। SR जारी की गई। CCTNS मे FIR जनरेट होने पर FIR नम्बर पृथक से अंकित किये जावेगे। सही छुगसिहं, सही अचलदान निपु SHO PS सेड़वा

3. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
Achal Dan (निरीक्षक) / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):**
(जाँच अधिकारी का नाम): **Rank**
(पद):
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Achal Dan
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.): थानाधिकारी पुलिस थाना ऐडवा

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):